Relief and Rehabilitation of Victims of Communal Violence

3216. SHRI G. Y. KRISHNAN:
SHRI JAGPAL SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have decided to step up rehabilitation of the victims of communal violence and to provide them grants and also arrange loans from nationalised banks;

(b) if so, the details regarding the procedure of giving loans and terms thereof;

(c) whether some suggestions were also received in the recent National Integration Council meeting in this regard from the members of the Committee; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). With a view to providing immediate relief to the victims of communal riots, a scheme is under consideration of the Government to speed up the process of rehabilitation of the victims. The scheme proposes. *inter alia* sanction of garnts of reasonable amounts and arrangements for grant of loan from the nationalised banks to enable them to start their vocation afrash. This Scheme which also includes adoption of certain communal trouble-prone areas by some nationalised banks, is under consideration of the Government.

(c) and (d). Yes, Sir. A suggestion regarding adequate compensation to the victims of communal riots was made in the meeting.

पश्चिम बंगाल में मिशनरियों के प्रवेश पर रोक

3217. श्री तारिक अनवर: क्या गृह मंत्री "वलेमर इन झाड़ग्राम" के बारे में 16 जुलाई, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, बांकुरा और पुरूलिया जिलों तथा बिहार और उड़ीसा के समीपवर्ती जिलों, जिनमें आदिवासी रहते हैं, में विदेशी मिशनरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) सरकार किन कारणों से विदेशी मिशनरियों, जिनके विरुद्ध स्थानीय लोगों को भड़काने के आरोप हैं, को देश छोड़ने के लिए बाध्य करने के बारे में कोई कदम नहीं उठा सकी; और

(ग) क्या सरकार विदेशों से धन प्राप्त करने वाले विदेशी मिशनरियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकरण पर निगरानी रखती है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख). विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और कोई विपरीत बात ध्यान में आती है तो यथोचित कार्रवाई की जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी विदेशी मिशनरियों तथा समाज सेवी संगठनों को सलाह दी है कि वे मिदनापुर, पुरूलिया तथा बांकुरा जिलों के जनजातीय बेल्ट में कोई नया कार्यक्रम न चलाएं। उनको यह भी सलाह दी गई है कि ज्यों ही राज्य सरकार उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थानों को अपने हाथ में लेने का प्रबंध करती है, वे तत्काल वहां से पूर्ण रूप से जाने के लिए तैयार रहें।

(ग) जो स्वयं सेवी संगठन विदेशों से धन प्राप्त करते हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार को विदेशों से प्राप्त धन राशि, उसका स्रोत और तरीका जिससे ऐसा विदेशी धन प्राप्त किया और वह उद्देश्य जिस के लिए प्राप्त किया तथा वह तरीका जिसमें इस प्रकार प्राप्त धन का प्रयोग किया गया; इसके बारे में छमाही सूचना भेजनी पड़ती है। ऐसे संगठनों से यह भी अपेक्षा है कि वे केन्द्रीय सरकार को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करें। यद्यपि समाचार पत्रों में कुछ संगठनों द्वारा धार्मिक, शैक्षणिक तथा

मिशनरी उद्देश्यों के लिए विदेशों से प्राप्त धन के दुरुपयोग के बारे में आरोप लगाए गए हैं परन्तु ऐसे दुरुपयोग का सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ठ मामला नहीं आया है ।

Rehabilitation of Bonded Labour

3218. SHRI CHITTA BASU:
SHRI P. K. KODIYAN:
SHRI VILAS MUTTEMWAR:
SHRI CHHITTUBHAI GAMIT:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the implementation of rehabilitation programme of the bonded labours is tardy.

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the progress of the rehabilitation works in different States:

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. VENKATA REDDY): (a) to (c). The rehabilitation of bonded labour is implemented by State Governments as part of their on-going developmental and welfare programmes. To supplement and expedite their efforts, matching financial assistance is available under the Centrally sponsored Scheme for rehabilitating bonded labour. A statement indicating the progress of rehabilitation in different States by the end of November, 1980 is enclosed.

Statement

Sl.No.	State	Total No. of bonded labour identified and freed	No. of Bonded labour rehabilitated so far	Remaining to be rehabilitated
1	2	3	4	5
1	Andhra Pradesh	12,701	7,386	5,315
2	Bihar	4,218	2,785	1,433
3	Gujarat	42	42	—
4	Karnataka	62,689	46,418	16,271
5	Kerala	700	308	392
6	Madhya Pradesh	1,531	58	1,473
7	Orissa	337	421*	—
8	Rajasthan	6,000	6,000	—
9	Tamil Nadu	27,874	27,670	204
10	Uttar Pradesh	4,469	4,469	—
	Total	1,20,561	95,557	25,088

*Pending release of bonded labour.

NOTE:—Total in Col. 4 and 5 do not tally because of *above.